

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



1-मो0 हुसेन पिता समसुददीन

मिम्रानी-3683/2018/रीवा/भू-रू

2-तकदीर मोहम्मद पिता समसुददीन

दोनों निवासी ग्राम हटवा चक नं0 1 तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

----- निगरानीकर्तागण

बनाम

1-सिराजुददीन पिता युसुफ मोहम्मद

2-मुस0 सखिनिया बेबा समसुददीन

3-अली अहमद पिता जहूर मोहम्मद

4-मु0 खतुनिया बेबा जहूर मोहम्मद

सभी निवासी ग्राम हटवा चक नं0 1 तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

5-शासन म0प्र0  
श्री. समसुददीन हुसेन  
द्वारा आज दि. 5-6-18 को  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक तर्क हेतु  
दिनांक 25-6-18 मियत।

----- गैर निग0कर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश पारित द्वारा आदेश  
अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के  
आदेश दिनांक 11/05/18 जरिये प्र0क0 96ए  
6/15-16

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।

25-6-18

समसुददीन हुसेन  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

समसुददीन हुसेन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

332

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगम/3683/18/रीवर/भूर, मोन्दुसैन/सिराहूडी

मोन्दुसैन/सिराहूडी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>27-12-18</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>एम.ए. चण्डी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>हेमूगण</u> के प्रकरण क्रमांक <u>96/A-6/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>11/05/18</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>रीवर</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>रीवर</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य</p>